

बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

राजीव शंकर,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

*द्वारा-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक-

विषय:- नगर निगम, पटना क्षेत्रान्तर्गत सड़क एवं नाला निर्माण कार्य हेतु प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में तत्काल कुल राशि ₹57.35598 लाख (संतावन लाख पैंतीस हजार पाँच सौ अन्तानवे रूपये) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि की व्यय की स्वीकृति।

आदेश: स्वीकृत।

नगर निगम, पटना क्षेत्रान्तर्गत सड़क एवं नाला निर्माण कार्य हेतु विभागीय राज्यादेश संख्या-3806 दिनांक-03.04.2025 द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किया गया है। नगर आयुक्त, नगर निगम, पटना का पत्रांक-1240 दिनांक-19.01.2026 द्वारा निम्नलिखित योजना हेतु राशि आवंटन करने का अनुरोध किया गया है।

2. उक्त अनुरोध के आलोक में नगर निगम, पटना क्षेत्रान्तर्गत तालिका के स्तम्भ- 3 में अंकित योजना के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित कुल राशि राशि ₹115.35598 लाख (एक करोड़ प्रन्द्रह लाख पैंतीस हजार पाँच सौ अन्तानवे रूपये) मात्र के प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध योजना के कार्यान्वयन हेतु स्तम्भ-5 में अंकित तत्काल राशि ₹57.35598 लाख (संतावन लाख पैंतीस हजार पाँच सौ अन्तानवे रूपये) मात्र वित्तीय वर्ष, 2025-26 में सहायक अनुदान के रूप में व्यय की स्वीकृति निम्नवत प्रदान की जाती है :-

राशि लाख में

क्र०सं०	नगर निकाय का नाम	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	तत्काल आवंटित राशि	अवशेष राशि
1	2	3	4	5	6
1	नगर निगम, पटना	CONSTRUCTION FO U/G DRAIN AND PCC ROAD IN NORTH PATEL NAGAR ROAD NO-04 FROM SANJAY JI HOUSE TO BABA CHAWK NALA IN WARD NO-07	59.47600	29.47600	30.00
2		CONSTRUCTION OF U/G DRAIN AND PCC NALA FROM BINDA PRASAD HOUSE TO VIHNU DEO MANDAL HOUSE IN FRIENDS COLONY PATNA	55.87998	27.87998	28.00
कुल			115.35598	57.35598	58.00

3. उक्त स्वीकृत राशि राशि ₹57.35598 लाख (संतावन लाख पैंतीस हजार पाँच सौ अन्टानवे रूपये) मात्र की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग होंगे, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561, दिनांक- 17.04.98, पत्रांक- 227, दिनांक- 28.03.2025 एवं पत्रांक-950 दिनांक-12.12.2025 में निहित अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। **उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा राशि नगर निगम, पटना के PL खाता सं०-PTCPLA021, HoA संख्या-00-8448-00-102-0001-00-01 में CFMS के माध्यम से Inter Departmental विधि से Online हस्तांतरित किया जाएगा।**
4. उक्त स्वीकृत राशि ₹57.35598 लाख (संतावन लाख पैंतीस हजार पाँच सौ अन्टानवे रूपये) मात्र की निकासी माँग संख्या- 48 नगर विकास एवं आवास विभाग, मुख्य शीर्ष- 2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष- 03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष- 193- नगर पंचायतों-अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतुल्य सहायता, उपशीर्ष- 0103- परिवहन के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान, विपत्र कोड-48-2217031930103, विषय शीर्ष-0103.31.05 सहायक अनुदान परिसंपत्तियों के निर्माण मद से की जायेगी।
5. बिहार कोषागार सहित के नियम- 286 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०- 46 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या- 1496/वि(2), दिनांक- 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर कोषागार में प्रस्तुत किया जाएगा। राशि के भुगतान के पश्चात् विभागीय पत्रांक- 61, दिनांक- 11.01.2019 के आलोक में उपयोगिता प्रमाण पत्र BTC-42A फॉर्म में तैयार कर रोकड़ बही की संबंधित पृष्ठ की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करायी जाएगी।
6. वित्त विभाग के संकल्प सं०-573, दिनांक-16.01.1975 एवं एम 04-15/2009-9736, दिनांक- 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271 के अनुसार "सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं अंकेक्षित लेखा स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।"
7. वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 7355 वि(2), दिनांक- 05.10.2007 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
8. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-04/सड़क-01-18/2026 के पृष्ठ सं०-33/टि० पर दिनांक-02.03.2026 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०-35/टि० पर दिनांक-07.03.2026 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

प्रतिलिपि:—संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/प्रबंध निदेशक, बुडको/नगर आयुक्त, नगर निगम, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/ विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/अवर सचिव-सह-व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-02, 06 एवं 04 नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव